पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2013 ई0 (श्रावण 19, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–32

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	283–320	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विमिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	313–315	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विमिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	483–485	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाषा विभाग

विनियम/विविध

31 मई, 2013 ई0

संख्या 463/XXXIX/13-36(सा0)/2012–राज्यपाल, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी की नियमावली, 2009 के नियम 2(13) के अधीन उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी में मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, हिन्दी की विविध विधाओं में साहित्य, काव्य सृजन हेतु एवं तकनीकी–विज्ञान सम्बन्धित विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009 के अधीन वैज्ञानिक लेख–लेखन एवं साहित्यिक पुरस्कार योजना बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम, 2013

1. संक्षिप्त नाम :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम, 2013" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "योजना" से "तकनीकी/विज्ञान/हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" अभिप्रेत है ;

(2) "पुस्तक" से "वैज्ञानिक लेख–लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार" अभिप्रेत है ;

(3) "विनियम" से "वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार" अभिप्रेत है ;

(4) "वर्ष" से " किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि" अभिप्रेत है ;

(5) "पुरस्कार" से,

(क) **साहित्य पुरस्कार**– इन पुरस्कारों में सुमित्रा नन्दन पन्त पुरस्कार, पी0द0ब0 पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार, शिवानी पन्त पुरस्कार तथा विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार सम्मिलित होंगे।

(ख) वैज्ञानिक लेख–लेखन पुरस्कारः– इन पुरस्कारों में मात्र एक पुरस्कार ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार सम्मिलित होगा, अभिप्रेत है;

3. उद्देश्यः योजना का उद्देश्य तकनीकी/विज्ञान/हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं की विभिन्न विधाओं से सबंधित विषयों के बारे में उच्च स्तर के मौलिक हिन्दी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देना है। इन विषयों में समसामयिक विषय भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

4. पुरस्कारः उपरोक्त वर्णित पुरस्कारों को हिन्दी साहित्य एवं ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के अन्तर्गत रूपये एक लाख, प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न प्रदान किया जायेगा।

5. अवधि– योजना के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल् पूर्ववर्ती वर्ष के पहले तीन वर्षों में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति तथा ज्ञान–विज्ञान पर आधारित मौलिक पुस्तक लेखन के लिये प्रत्येक वर्ष उपरोक्त वर्णित पुरस्कार होंगे। उदाहरणः– 2012 के लिये पुस्तक चयन के लिये 2008–2010 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।

6. साहित्य की विविध विधाओं के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित पुरस्कार के लिये पात्रताः

(1) पुरस्कार के विचारार्थ होने के लिये पुस्तक का हिन्दी भाषा तथा साहित्य में विशिष्ट स्थान होना चाहिये। पुस्तक सृजनात्मक या समालोचनात्मक हो, किन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी की नहीं होनी चाहिए।

(क) अनुदित कृति, अथवा

(ख) संचयन, अथवा

(ग) संक्षिप्त या संकलन या टीका, अथवा

(घ) विश्वविद्यालय या परीक्षा की उपाधि के लिये तैयार किया गया प्रबन्ध या शोधकार्य अथवा

(ड.) ऐसे लेखक की कृति, जिसे अकादमी से (अनुवाद पुरस्कार के अतिरिक्त) पहले भी पुरस्कार मिल चुका है अथवा

(च) ऐसा लेखक जो अकादमी में चयन मंडल का सदस्य है।

(2) पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की रचनाओं से तैयार नया संग्रह अथवा पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के संशोधित संस्करण पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होंगे, तथापि पुस्तक में शामिल रचनाओं का 75 प्रतिशत भाग यदि पहली बार प्रकाशित हुआ है तो उस स्थिति में वह पुस्तक पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है।

(3) कोई अपूर्ण कृति पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है यदि पुस्तक में सम्मिलित भाग अपने आप में पूर्ण है।

(4) यदि लेखक की मृत्यु पुरस्कार के लिये निर्धारित तीन वर्ष के भीतर या उसके बाद हुई हो तो लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित कृति पुरस्कार के लिये विचारणीय होगी। **उदाहरण** : यदि लेखक का मृत्यु वर्ष 2008 से पूर्व का हो, उस स्थिति में उसकी कृति वर्ष 2012 के पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगी।

(5) ऐसी पुस्तक जिसके संबंध में कार्यकारी मंडल को विश्वास हो जाये कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिये पक्ष में समर्थन जुटाया गया है, पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं होगी।

7. ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार के लिये पात्रता:

(1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है उदाहरणार्थ :–

(क) इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन मनोविज्ञान इत्यादि।

(ख) समसामयिक विषय–जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभो –क्ता व मानवाधिकार, प्रदूषण–नियंत्रण इत्यादि।

(2) भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

(3) जिस वर्ष के लिये प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उसके तत्काल् पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अतंर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबधित वर्ष के लिये विचारणीय नहीं होगी।

(4) पुस्तक की विषय वस्तु समीक्षात्मक विश्लेषण युक्त होनी चाहिये। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिये पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होगी।

(5) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।

(6) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी प्रकार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जायेगा।

(7) यदि पुरस्कार के लिये चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जायेंगी

(8) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिये सम्मिलित नहीं की जायेगी।

8. हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के पुरस्कार के लिये अंक तालिका:

हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे:–

क.स.	मद	अंक
1	मौलिकता	20
2	भाषा एवं शैली	20
3	वर्तमान/भावी परिप्रेक्ष्य में पुस्तक की उपयोगिता	20
4	सुव्यवस्थित प्रस्तुति	20
5	संपादन की गुणवत्ता– विधाओं और विषयों की विविधता, सामग्री का चयन, प्रस्तुतीकरण, साजसज्जा, ले आऊट, पृष्ठ संख्या का इष्टतम उपयोग आदि।	10
6	प्रकाशन की गुणवत्ता–साजसज्जा, गुणवत्ता, छपाई, बाइंडिग आदि।	10
	कुल अंक	100

नोट– उपरोक्त तालिका में परिवर्तन (घटाया–बढाया) सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है।

9. प्रविष्टि भेजने की रीति:

(क) प्रविष्टि इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में भेजी जायेगी।

(ख) पुरस्कार के लिये प्रविष्ट की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां भेजनी आवश्यक होंगी, जो प्रत्यावर्तित नहीं की जायेंगी।

(ग) विषय–वस्तु परस्पर भिन्न होने पर एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है।

(घ) प्रविष्टियां निम्न पते पर इस विषय में जारी किए जाने वाले परिपत्र में उल्लिखित अन्तिम तारीख तक पहुंच जानी चाहिए:–

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, अथवा

(दो) सचिव, पी0द0ब0 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी देहरादून।

(ड.) इन विनियमों में विहित प्रपत्र में प्रविष्टियां न भेजे जाने पर उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

10. मूल्यांकन समिति/चयन समिति :

(1) प्रविष्टियों पर एक मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(2) प्रविष्टियां भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में सदस्य के रूप में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। इस आशय का उन्हें स्वहस्तलिखित प्रमाण–पत्र देना होगा।

(3) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त करें।

(4) मूल्यांकन समिति/चयन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी एवं निर्धारित मानदण्डों से प्रमुख सचिव/सचिव भाषा विभाग उत्तराखण्ड शासन को अवगत करायेगी।

(5) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जायेगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(6) मूल्यांकन समिति/चयन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर–सरकारी सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन एवं नियमावली के अधीन यात्रा–भत्ता और दैनिक–भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।

11. मूल्यांकन समिति/चयन समिति का गठन और उसके कार्य:

(1) प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक पुरस्कार निर्धारण के लिये एक त्रिसदस्यीय चयन समिति/मूल्यांकन समिति गठित की जायेगी। सदस्यों का चयन पुरस्कार परामर्श मंडल द्वारा संस्तुत सात नामों के पैनल की संस्तुति पर से अकादमी के अध्यक्ष करेंगे। पुरस्कार परामर्श मण्डल का गठन अध्यक्ष द्वारा दो अकादमी के कुलपतियों एवं साधारण सभा के नामित साहित्यकारों में से तीन को नामित कर किया जायेगा तथा जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता प्रबन्धकार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) पुरस्कार परामर्श मंडल के सदस्यों द्वारा गठित करायी गई चयन समितियों/मूल्यांकन समितियों द्वारा संस्तुत प्रत्येक पुस्तक की 5 प्रतियां अकादमी द्वारा कय की जायेंगी।

(3) कय की गई पुस्तकों की एक–एक प्रति चयन समिति के प्रत्येक सदस्य एवं संयोजक/अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति को भेजी जायेगी।

(4) चयन समितियों की बैठक का आयोजन यथासंभव राज्य के मुख्यालय में होगा। प्रबन्ध कार्यकारिणी के अध्यक्ष (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष बैठक का संयोजक होगा) पुरस्कार परामर्श मंडल का संयोजक बैठक का भी संयोजक होगा संयोजक सुनिश्चित करेगा कि पुरस्कार परामर्श मंडल–चयन समितियों की बैठक में विचार–विमर्श इन नियमों के अनुरूप हो तथा वह मंडल की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा।

(5) चयन समिति के सदस्य विचार–विमर्श के अनुसार प्रस्तुत पुस्तकों के संदर्भ में अपनी वरीयता सूची उसके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। वे यह भी अनुशंसा कर सकते हैं कि उनके विचार में उस अवधि के दौरान कोई भी पुस्तक पुरस्कार की पात्र नहीं है। कोई सदस्य यदि किसी कारणवश् बैठक में उपस्थित नहीं है तो चयन समिति की बैठक इसलिये अमान्य नहीं मानी जायेगी कि कोई सदस्य उपस्थित नहीं है या उसने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में सूचना लिखित रूप में नहीं भेजी है।

(6) तत्पश्चात् चयन समिति के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियां प्रबन्धकार्यकारिणी तथा साधारण सभा के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(7) चयन समिति के सदस्यों को वास्तविक यात्रा भत्ते के अतिरिक्त मानदेय आदि के सम्बन्ध में हिन्दी अकादमी नियमावली के अनुसार निर्णय करेगी।

12. विविधा:

(1) यदि पुरस्कार प्रदान किये जाने के पूर्व किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसकी पति, पत्नी अथवा किसी कानूनी वारिस को दिया जायेगा।

(2) यदि इन नियमों में से किसी भी उपबंध के लागू करने में कोई समस्या आती है तो उस स्थिति में अकादमी की कार्यकारिणी उस समस्या का निवारण नियमानुसार करेगी।

13. साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिये पुस्तक के चयन की प्रकिया इस प्रकार है:

साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए पुरस्कारों का चयन निम्नवत् किया जाएगा–

(1) नियम 5 के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले तीन वर्षों में अकादमी (इसके पश्चात् जिसे अकादमी कहा जायेगा) द्वारा हिन्दी भाषा में भारतीय लेखक की प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिये प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा। उदाहरण– 2012 के पुरस्कार के लिये 2008 से 2010 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होगीं।

(2) पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती 3 वर्ष में प्रकाशित कोई पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती है तो उस वर्ष उस विधा के लिये पुरस्कार नहीं दिया जायेगा ।

(3) पुरस्कार के रूप में लेखक को उतनी राशि प्रदान की जायेगी जितनी अकादमी समय–समय पर निर्धारित करें। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति पत्र भी प्रकाशित किया जायेगा जिसमें

पुस्तक के वैशिष्टय तथा हिन्दी भाषा और साहित्य में लेखक के योगदान की संक्षेप में चर्चा होगी।

(4) जहां दो या अधिक पुस्तकें समान योग्यता की पाई जायेगीं वहाँ पुरस्कार निर्धारण के समय उनके लेखकों के कुल साहित्यिक योगदान और हिन्दी भाषा जगत में उनकी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जायेगा।

14. आधार–सूची के निर्माण तथा चयन समितियों के सदस्यों की संस्तुतियां प्राप्त करना:

(1) अकादमी हर वर्ष प्रत्येक विधा की विचारणीय पुस्तकों की एक आधार सूची वर्णित पुरस्कारों के अन्तर्गत पुरस्कार दिये जाने के उद्देश्य से तैयार करायेगी, जिसका निर्माण कार्य एक विशेषज्ञ अथवा अकादमी के अध्यक्ष के विवेक पर दो विशेषज्ञों को सौंपा जा सकेगा। विशेषज्ञों के मानदेय की राशि समय–समय पर अकादमी द्वारा नियमावलियों के प्राविधानों के अनुरूप नियत की जायेगी।

(2) गठित पुरस्कार परामर्श मंडल का प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक उपरोक्त पुरस्कारों की विधा हेतु अधिकतम पांच नामों का एक पैनल भेजेगा और अकादमी के प्रबन्ध कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव भाषा एवं सचिव, हिन्दी अकादमी के परामर्श (जिन्हें इसके बाद अध्यक्ष कहा जायेगा) इस प्रकार प्राप्त पैनलों में से प्रत्येक पुरस्कार हेतु विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का चुनाव करेंगे।

(3) आधार–सूची तैयार करते समय विशेषज्ञ नियमों में सुनिश्चित विचारणीयता के मानदण्डों का कडाई से पालन करेंगे। इस प्रकार निर्मित आधार–सूची जिसमें गत वर्ष संस्तुत कृतियां भी सम्मिलित होंगी, जिन्हें हिन्दी भाषा परामर्श मंडल चयन समितियों (योजक सहित) के सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जायेगी कि वे अकादमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें। प्रत्येक सदस्य

(क) आधार–सूची से दोनों पुस्तकें अथवा

(ख) एक पुस्तक आधार–सूची से और दूसरी अपनी रूचि से,

(ग) दोंनों पुस्तकें अपनी रूचि की चुन सकता है।

15. जूरी और उसके कार्य:

(1) चयन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कार के अन्तिम चयन हेतु अपना प्रस्ताव प्रबन्धकार्यकारिणी को प्रस्तुत करने हेतु एक त्रिसदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन

अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जिसमें दो सदस्य अन्य प्रदेशों से एवं एक सदस्य का चयन उत्तराखण्ड से किया जायेगा।

(2) पुरस्कार परामर्श मण्डल द्वारा अनुसंषित पुस्तकें क्रय के उपरान्त अकादमी जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।

(3) संयोजक जूरी और अकादमी के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि जूरी की बैठक उचित और संतोषजनक रूप में सम्पन्न हो। यह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा।

(4) जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिये एक पुस्तक की अनुशंसा करेंगे। वे ये भी अनुशंसा कर सकेंगे कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है।

(5) जूरी के सदस्यों को वास्तविक यात्रा भत्ते के अतिरिक्त दैनिक भत्ते और बैठक भत्ते का भुगतान ऐसे दर से जैसी कार्यकारी मंडली के सदस्य देतें हैं, नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

16. पुरस्कार की घोषणा:

(1) जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिये प्रबन्धकार्यकारिणी मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

(2) पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम और अन्तिम चरण में चुनी गयी पुस्तकों की सूची भी घोषित कर दी जायेगी।

17. विविधा:

(1) यदि पुरस्कार परामर्श मंडल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय सीमा की अनदेखी की जाती है अकादमी यह मान लेगी कि उसकी कोई संस्तुति नहीं है और वह तद्नुसार अपनी पुरस्कार प्रकिया को आगे बढाएगी सिवाय उस विशेष परिस्थिति के जिसमें अकादमी समय सीमा को बढा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढाती हो।

(2) प्रबन्धकार्यकारिणी मंडल के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान निर्धारित किया जायेगा।

18. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

(1) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जायेगी।

(2) पुरस्कार वितरण भाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जायेगा। पुरस्कार वितरण के लिये नियत स्थान के बाहर से आये

हुये पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार ग्रहण करने के लिये यात्रा भत्ता नियमावली के अनुरूप अकादमी द्वारा देय होगा।

19. सामान्य :

(1) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा।
(2) पुरस्कार प्रदान किये जाने अथवा पुरस्कार के लिये पुस्तक चयन की प्रकिया के बारे में कोई पत्र–व्यवहार नहीं किया जायेगा।
(3) जूरी का निर्णय अन्तिम होगा।

20. विनियम शिथिल करने का अधिकार :

जहां राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(वैज्ञानिक लेख–लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार हेतु)

प्रपत्र

1– पुस्तक का नाम.....
2– पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है.....
3– (क) लेखक/लेखकों का नाम.....
(ख) पूरा पता.....
(ग) दूरभाष संख्या.....
4– (क) प्रकाशक का नाम.....
(ख) प्रकाशक का पूरा पता.....
(ग) मूल्य.....
(घ) प्रकाशन वर्ष.....
(ड.) कापी राइट किसके अधीन है.....
5– क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिताओं में भेजा गया था, यदि हां,तो कृपया पूरा ब्यौरा दें :
(क) किस वर्ष में भेजी गई.....
(ख) किसे भेजी गई.....
(पूरा पता).....
.....
(ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें.....
.....

6– क्या लेखक को **वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें–

(क) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का शीर्षक.....

(ख) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ.....

(ग) प्राप्त पुरस्कार की राशि.....

(घ) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई.....

(ड.) प्रकाशक का पूरा पता.....

(च) पुस्तक का मूल्य.....

7– मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं/ करते हैं कि–

(क) मैं/हम भारतीय नागरिक हूं/हैं।

(ख) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई है।

(ग) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं/देती हूं कि मैं **वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** /हम विनियम के उपबंधो का पालन करूंगा/करूंगी।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर.....

स्थान:.....

दिनांक.....

नोट–

1– इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित

(क)– प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।

(ख)– सचिव, पी0द0ब0 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी देहरादून।

को भेजा जाये।

2– लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत हस्ताक्षित विषय वस्तु का सारांश भी संलग्न किया जाये।

विनियम/विविध

31 मई, 2013 ई0

संख्या 464/XXXIX/13-35(सा0)/2012—राज्यपाल, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की नियमावली, 2009 के नियम 2(10) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड भाषा संस्थान में मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, उत्तराखण्ड की लोक भाषा की विविध विधाओं में साहित्य/काव्य सृजन हेतु लोक भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नवत् उत्तराखण्ड लोक भाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड लोक भाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम, 2013

1. संक्षिप्त नाम :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड लोक भाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम, 2013" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2 परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "योजना" से, "लोक भाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" अभिप्रेत है ;

(2) "पुस्तक" से प्रकाशित पुस्तक, "लोक भाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम" अभिप्रेत है;

(3) "विनियम" से "लोक भाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम" अभिप्रेत है ;

(4) "वर्ष" से किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि" अभिप्रेत है ;

(5) "पुरस्कार" से क्रमशः "गुमानी पन्त, गोविन्द चातक, गिरीश तिवारी "गिर्दा", अबोध बन्धु बहुगुणा तथा भजन सिंह "सिंह" पुरस्कार" अभिप्रेत है ;

3. उद्देश्य : योजना का उद्देश्य लोक भाषा में मौलिक रूप से उच्च स्तर के साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देना है। इन विषयों में समसामयिक विषय भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

4. पुरस्कार : उपरोक्त वर्णित पुरस्कारों को लोक भाषाओं में मौलिक पुस्तक लेखन के अन्तर्गत रूपये एक लाख, प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न प्रदान किया जायेगा।

5. अवधि : योजना के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले तीन वर्षों में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति, मौलिक पुस्तक लेखन के लिये प्रत्येक वर्ष उपरोक्त वर्णित पुरस्कार होंगे। **उदाहरणः–** 2012 के लिये पुस्तक चयन के लिये 2008–2010 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।

6. साहित्य की विविध विधाओं के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित पुरस्कार के लिये पात्रता :

(1) पुरस्कार के विचारार्थ होने के लिये पुस्तक का लोक भाषा तथा साहित्य में विशिष्ट स्थान होना चाहिये। पुस्तक सृजनात्मक या समालोचनात्मक हो, किन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी की नहीं होनी चाहिए।

(क) अनुदित कृति, अथवा
(ख) संचयन, अथवा
(ग) संक्षिप्त या संकलन या टीका, अथवा
(घ) विश्वविद्यालय या परीक्षा की उपाधि के लिये तैयार किया गया प्रबन्ध या शोधकार्य अथवा
(ड.) ऐसे लेखक की कृति, जिस पर संस्थान से (अनुवाद पुरस्कार के अतिरिक्त) पहले भी पुरस्कार मिल चुका है अथवा
(च) ऐसा लेखक जो संस्थान में चयन मंडल का सदस्य है।

(2) पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की रचनाओं से तैयार नया संग्रह अथवा पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के संशोधित संस्करण पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होंगे; तथापि पुस्तक में शामिल रचनाओं का 75 प्रतिशत भाग यदि पहली बार प्रकाशित हुआ है तो उस स्थिति में वह पुस्तक पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है।

(3) कोई अपूर्ण कृति पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है यदि पुस्तक में सम्मिलित भाग अपने आप में पूर्ण है।

(4) यदि लेखक की मृत्यु पुरस्कार के लिये निर्धारित तीन वर्ष के भीतर या उसके बाद हुई हो तो लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित कृति पुरस्कार के लिये विचारणीय होगी।

उदाहरण : यदि लेखक का मृत्यु वर्ष 2008 से पूर्व की हो, उस स्थिति में उसकी कृति वर्ष 2012 के पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगी।

(5) ऐसी पुस्तक, जिसके संबंध में चयन समिति/मूल्यांकन समिति/पुरस्कार परामर्श मंडल/जूरी को विश्वास हो जाये कि

उसे पुरस्कार दिलाने के लिये पक्ष में समर्थन जुटाया गया है, पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं होगी।

(6) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी प्रकार के अर्ह नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जायेगा।

(7) यदि पुरस्कार के लिये चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

(8) ऐसी पुस्तकें जिन्हें इन विनियमों में उल्लिखित पुरस्कारों से इतर कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त हो गया है, इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिये अर्ह नहीं मानी जायेगी।

7. लोकभाषा में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कारों के लिये अंक तालिका :

हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे:–

क. स.	मद	अंक
1	मौलिकता	20
2	भाषा एवं शैली	20
3	वर्तमान/भावी परिप्रेक्ष्य में पुस्तक की उपयोगिता	20
4	सुव्यवस्थित प्रस्तुति	20
5	संपादन की गुणवत्ता–विधाओं और विषयों की विविधता, सामग्री का चयन, प्रस्तुतीकरण, साज–सज्जा, ले आऊट, पृष्ठ संख्या का इष्टतम उपयोग आदि।	10
6	प्रकाशन की गुणवत्ता–साजसज्जा, गुणवत्ता, छपाई, बाइंडिग आदि।	10
	कुल अंक	100

नोट–उपरोक्त तालिका में परिवर्तन (घटाया–बढाया) सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है।

8. प्रविष्टि भेजने की रीति :

(1) प्रविष्टि इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में भेजी जायेगी।

(2) पुरस्कार के लिये प्रविष्ट की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां भेजनी आवश्यक होंगी, जो प्रत्यावर्तित नहीं की जायेंगी।

(3) विषय–वस्तु परस्पर भिन्न होने पर एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है ।

(4) प्रविष्टियां निम्न पते पर इस विषय में जारी किए जाने वाले परिपत्र में उल्लिखित अन्तिम तारीख तक पहुँच जानी चाहिए:–

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून, अथवा

(दो) निदेशक, भाषा संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड।

(5) इन विनियमों में विहित प्रपत्र में प्रविष्टियां न भेजे जाने पर उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

9. मूल्यांकन समिति/चयन समिति :

(1) प्रविष्टियों पर एक मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(2) प्रविष्टियां भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में सदस्य के रूप में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। इस आशय का उन्हें स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र देना होगा।

(3) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त करें।

(4) मूल्यांकन समिति/चयन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी एवं निर्धारित मानदण्डों से प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग उत्तराखण्ड शासन को अवगत करायेगी।

(5) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जायेगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(6) मूल्यांकन समिति/चयन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर–सरकारी सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन एवं नियमावली के अधीन यात्रा–भत्ता और दैनिक–भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।

10. मूल्यांकन समिति/चयन समिति का गठन और उसके कार्य :

(1) पुरस्कार निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष पृथक–पृथक पुरस्कार के लिए तथा प्रत्येक पुरस्कार के लिये एक त्रिसदस्यीय चयन समिति/मूल्यांकन समिति गठित होगी। सदस्यों का चयन पुरस्कार परामर्श मंडल द्वारा संस्तुत सात नामों के पैनल में से संस्थान के अध्यक्ष करेंगे। पुरस्कार परामर्श मण्डल का गठन अध्यक्ष द्वारा दो अकादमी के कुलपतियों एवं साधारण सभा के नामित साहित्यकारों में से तीन को नामित कर किया जायेगा तथा जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष, प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता प्रबन्धकार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) पुरस्कार परामर्श मंडल के सदस्यों द्वारा गठित कराई गयी चयन समितियों/मूल्यांकन समितियों द्वारा संस्तुत प्रत्येक पुस्तक की 5 प्रतियां अकादमी द्वारा क्रय की जायेंगी।

(3) क्रय की गई पुस्तकों की एक–एक प्रति चयन समिति के प्रत्येक सदस्य एवं संयोजक/अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति को भेजी जायेगी।

(4) चयन समितियों की बैठक का आयोजन यथासंभव राज्य के मुख्यालय में होगा। प्रबन्धकार्यकारिणी के अध्यक्ष (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष बैठक का संयोजक होगा) पुरस्कार परामर्श मंडल का संयोजक बैठक का भी संयोजक होगा। संयोजक सुनिश्चित करेगा/करेगी कि पुरस्कार परामर्श मंडल/चयन समितियों की बैठक में विचार–विमर्श इन नियमों के अनुरूप हो तथा वह मंडल की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

(5) चयन समिति के सदस्य विचार–विमर्श के अनुसार प्रस्तुत पुस्तकों के संदर्भ में अपनी वरीयता सूची उसके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। वे यह भी अनुशंसा कर सकते हैं कि उनके विचार में उस अवधि के दौरान कोई भी पुस्तक पुरस्कार की पात्र नहीं है। कोई सदस्य यदि किसी कारणवश् बैठक में उपस्थित नहीं है, तो चयन समिति की बैठक इसलिये अमान्य नहीं मानी जायेगी कि कोई सदस्य उपस्थित नहीं है या उसने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में सूचना लिखित रूप में नहीं भेजी है।

(6) तत्पश्चात् चयन समिति के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियां प्रबन्धकार्यकारिणी तथा साधारण सभा के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(7) चयन समिति के सदस्यों को वास्तविक यात्रा भत्ते के अतिरिक्त मानदेय आदि के सम्बन्ध में भाषा संस्थान नियमावली के अनुसार निर्णय करेगी।

11. विविधा :

(1) यदि पुरस्कार प्रदान किये जाने के पूर्व किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसकी पति, पत्नी अथवा किसी कानूनी वारिस को दिया जायेगा।

(2) यदि इन नियमों में से किसी भी उपबंध के लागू करने में कोई समस्या आती है तो उस स्थिति में भाषा संस्थान की कार्यकारिणी उस समस्या का निवारण नियमानुसार करेगी।

12. भाषा संस्थान पुरस्कार के लिये पुस्तक के चयन की प्रकिया इस प्रकार है :

(1) नियम 5 के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले तीन वर्षों में संस्थान (इसके पश्चात् जिसे संस्थान कहा जायेगा) द्वारा लोक भाषा में भारतीय लेखक की प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिये प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा। **उदाहरण:** 2012 के पुरस्कार के लिये 2008 से 2010 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होगीं।

(2) पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती 3 वर्ष में प्रकाशित कोई पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती है तो उस वर्ष उस विधा के लिये पुरस्कार नहीं दिया जायेगा ।

(3) पुरस्कार के रूप में लेखक को उतनी राशि प्रदान की जायेगी जितनी संस्थान समय–समय पर निर्धारित करे। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति पत्र भी प्रकाशित किया जायेगा, जिसमें पुस्तक के वैशिष्ट्य तथा हिन्दी भाषा और साहित्य में लेखक के योगदान की संक्षेप में चर्चा होगी।

(4) जहाँ दो या अधिक पुस्तकें समान योग्यता की पाई जायेगीं वहाँ पुरस्कार निर्धारण के समय उनके लेखकों के कुल साहित्यिक योगदान और लोक भाषा जगत में उनकी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जायेगा।

13. आधार–सूची के निर्माण तथा चयन समितियों के सदस्यों की संस्तुतियां प्राप्त करना

(1) भाषा संस्थान हर वर्ष प्रत्येक विधा की विचारणीय पुस्तकों की एक आधार सूची वर्णित पुरस्कारों के अन्तर्गत पुरस्कार दिये जाने के उद्देश्य से तैयार करायेगी, जिसका निर्माण कार्य एक विशेषज्ञ अथवा संस्थान के अध्यक्ष के विवेक पर दो विशेषज्ञों को सौंपा जा सकेगा। विशेषज्ञों के मानदेय की राशि समय–समय पर संस्थान द्वारा नियमावलियों के प्राविधानों के अनुरूप नियत की जायेगी।

(2) गठित पुरस्कार परामर्श मंडल का प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक उपरोक्त पुरस्कारों की विधा हेतु अधिकतम पांच नामों का एक पैनल भेजेगा और संस्थान के प्रबन्धकार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा एवं निदेशक, भाषा संस्थान के परामर्श (जिन्हें इसके बाद अध्यक्ष कहा जायेगा) इस प्रकार प्राप्त पैनलों में से प्रत्येक पुरस्कार हेतु विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का चुनाव करेंगे।

(3) आधार–सूची तैयार करते समय विशेषज्ञ नियमों में सुनिश्चित विचारणीयता के मानदण्डों का कडाई से पालन करेंगे। इस प्रकार निर्मित आधार–सूची जिसमें गत वर्ष संस्तुत कृतियां भी सम्मिलित होंगी तथा इसके पश्चात् लोक भाषा परामर्श मंडल चयन समितियों

(योजक सहित) के सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जायेगी कि वे संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें। प्रत्येक सदस्य

(क) आधार–सूची से दोनों पुस्तकें अथवा

(ख) एक पुस्तक आधार–सूची से और दूसरी अपनी रूचि से

(ग) दोंनों पुस्तकें अपनी रूचि की चुन सकता है।

14. जूरी और उसके कार्य :

(1) चयन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कार के अन्तिम चयन हेतु अपना प्रस्ताव प्रबन्धकार्यकारिणी को प्रस्तुत करने हेतु एक त्रिसदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसमें दो सदस्य अन्य प्रदेशों से एवं एक सदस्य का चयन उत्तराखण्ड से किया जायेगा।

(2) पुरस्कार परामर्श मण्डल द्वारा अनुशांसित पुस्तकें क्रय के उपरान्त संस्थान द्वारा जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।

(3) संयोजक जूरी और संस्थान के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि जूरी की बैठक उचित और संतोषजनक रूप में सम्पन्न हो। यह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

(4) जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिये एक पुस्तक की अनुशंसा करेंगे। वे ये भी अनुशंसा कर सकेंगे कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है।

(5) जूरी के सदस्यों को वास्तविक यात्रा भत्ते के अतिरिक्त दैनिक भत्ते और बैठक भत्ते का भुगतान ऐसी दर से जैसी कार्यकारी मंडली के सदस्य देतें हैं, नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

15. पुरस्कार की घोषणा :

(1) जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिये प्रबन्धकार्यकारिणी मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

(2) पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम और अन्तिम चरण में चुनी गयी पुस्तकों की सूची भी घोषित कर दी जायेगी।

16. विविधा :

(1) यदि पुरस्कार परामर्श मंडल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय सीमा की अनदेखी की जाती है, संस्थान यह मान लेगा कि उसका/उसकी कोई संस्तुति नहीं है और वह

तद्नुसार अपनी पुरस्कार प्रकिया को आगे बढाएगी सिवाय उस विशेष परिस्थिति के जिसमें संस्थान समय–सीमा को बढा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढाती हो।

(2) प्रबन्धकार्यकारिणी मंडल के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान निर्धारित किया जायेगा।

17. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

(1) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जायेगी।

(2) पुरस्कार वितरण भाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जायेगा। पुरस्कार वितरण के लिये नियत स्थान के बाहर से आये हुये पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार ग्रहण करने के लिये यात्रा भत्ता नियमावली के अनुरूप संस्थान द्वारा देय होगा।

18. सामान्य :

(1) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कॉपीराइट अधिकार बना रहेगा।

(2) पुरस्कार प्रदान किये जाने अथवा पुरस्कार के लिये पुस्तक चयन की प्रकिया के बारे में कोई पत्र–व्यवहार नहीं किया जायेगा।

(3) जूरी का निर्णय अन्तिम होगा।

19. विनियम शिथिल करने का अधिकार :

जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(लोक भाषा मौलिक लेखन पुरस्कार हेतु)

प्रपत्र

(1) पुस्तक का नाम.....

(2) पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है.....

(3) (क) लेखक/लेखकों का नाम.....

(ख) पूरा पता.....

(ग) दूरभाष संख्या.....

(4) (क) प्रकाशक का नाम.....

(ख) प्रकाशक का पूरा पता.....

(ग) मूल्य.....

(घ) प्रकाशन वर्ष.....

(ड.) कॉपीराइट किसके अधीन है.....

(5) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिताओं में भेजा गया था, यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें :

(क) किस वर्ष में भेजी गई.....

(ख) किसे भेजी गई.....

(पूरा पता).....

(ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें.

.....

(6) क्या लेखक को **लोक भाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार** योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें–

(क) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का शीर्षक.....

(ख) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ.....

(ग) प्राप्त पुरस्कार की राशि.....

(घ) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई.....

(ड.) प्रकाशक का पूरा पता.....

(च) पुस्तक का मूल्य.....

(7) मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ करते हैं कि–

(क) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं।

(ख) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई है।

(ग) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं/देती हूं कि मैं **लोक भाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम**/हम विनियम के उपबंधो का पालन करूंगा/करूंगी।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर.....

स्थान:.....

दिनांक.....

नोट–

(1) इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित
(क) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
(ख) निदेशक, भाषा संस्थान उत्तराखण्ड को भेजा जाये।

(2) लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत् हस्ताक्षरित विषय वस्तु का सारांश भी संलग्न किया जाये।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

अधिसूचना

06 जून, 2013 ई0

संख्या 61/XXIV-4/1(3) 2010–उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेतर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (संशोधन) विनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

विनियम 8 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 जिन्हें यहां आगे मूल विनियम कहा गया है, के भाग दो–क, अध्याय–एक के विनियम 8 के उप विनियम 'ट' के पश्चात् उप विनियम (ठ) निम्नवत रख दिया जायेगा अर्थात्,

"ठ" यदि किन्ही कारणों से प्रबन्ध समिति के चुनाव समय पर न हों तो मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित विद्यालय में प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति करेगा, जो प्रबन्ध समिति का चुनाव करायेगा। प्रबन्ध संचालक को प्रबन्ध समिति के समस्त अधिकार प्रदत्त होंगे।

विनियम 7(2)का संशोधन 3. मूल विनियम अध्याय–दो में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

	स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम अध्याय दो (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) विनियम (2)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम अध्याय दो (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) विनियम (2)
	ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक धारा–42 के प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25% पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के रूप में पॉच वर्षो की सेवा पूरी कर ली है तथा सम्बन्धित विषय के चयन के लिए निर्धारित अर्हता रखता हो और वह प्रशिक्षित स्नातक हो। ऐसी पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में विनियम 5,6,7 के अधीन दी गयी प्रकिया का पालन किया जायेगा।	ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक धारा–42 के प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25% पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के रूप में पॉच वर्षो की सेवा पूरी कर ली है तथा सम्बन्धित विषय के चयन के लिए निर्धारित अर्हता रखता हो और वह प्रशिक्षित स्नातक/बी0टीसी0 या समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त हो। ऐसी पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में विनियम 5,6,7 के अधीन दी गयी प्रकिया का पालन किया जायेगा।

विनियम 10(क)का संशोधन

4. मूल विनियम, अध्याय–दो में नीचे 10 के उप विनियम (क) के द्वितीय गया विनियम रख दिया जायेगा। स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया

	स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
	अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 10 (क) विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 100 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट जो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के पदनाम से	**अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 10(क)** विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 300 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट जो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी

	हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।	दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।

विनियम16 का संशोंधन

5. मूल विनियम, अध्याय–दो में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति **विनियम 16**	**अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 16**
चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करे, यात्रा भत्ता दिया जायेगा। उक्त व्यय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जायेगा।	चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाले प्रत्येक विषय विशेषज्ञ को 1000 रूपया (रूपये एक हजार) अन्य सदस्य को गुण विषयक अंक हेतु रूपये 20 प्रति अभ्यर्थी न्यूनतम 500 रूपया स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करे, यात्रा भत्ता दिया जायेगा। उक्त व्यय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जायेगा।

अध्याय दो परिशिष्ट "क" का संशोधन

6. मूल विनियम अध्याय–दो परिशिष्ट–क में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो (विनियम 1 के सन्दर्भ में) अशासकीय मान्यता	अध्याय दो (विनियम 1 के सन्दर्भ में) अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राईमरी, पूर्व

प्राप्त प्राईमरी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों/प्रधानों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें अध्यापक	माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों/प्रधानों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें अध्यापक
1. मान्यता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी, जो समय-समय पर राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेजों के एल0टी0 व प्रवक्ता पदों के अध्यापकों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों या की जायेंगी।	1. मान्यता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी, जो समय-समय पर राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेजों के एल0टी0 व प्रवक्ता पदों के अध्यापकों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों या की जायेंगी।
	1(क) अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पंजाबी एवं बंगला पद हेतु उस विषय में स्नात्कोत्तर/समकक्ष तथा बी0एड0 एवं एल0टी0 स्तर पर स्नातक/ समकक्ष तथा बी0एड0 शैक्षिक योग्यता लागू होगी।
2. पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नियूक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु अर्हतायें निम्नवत् होंगीः-	2. पूर्व माध्यमिक विद्यालय **(कक्षा VI-VIII)** तक के विद्यालय में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत् होंगीः-
(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि।	**(क)** (स्नातक और प्रारभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)। **अथवा** न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0)। **अथवा** न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0) जो इस सम्बन्ध में
(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठयक्रम (बी0टी0 सी0)। बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अथ्यर्थी न मिलने पर विश्व	

विद्यालय की बी0एड0 उपाधि या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल0टी0 डिप्लोमा मान्य होगा)।

समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0)।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी0ए0 / बी0एस0सी0एड0 या बी0ए0एड0 / बी0एस0सी0एड0।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी0एड0. (विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

3. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I–V) नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत होंगी:–

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्क्रम(बी0टी0सी0)। (बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी न मिलने पर विश्वविद्यालय की बी0एड0 उपाधि या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त

3. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I–V) नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत होंगी:–

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय

	संस्थान से एल0टी0 डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जिन्हें आवश्यक सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाय)।	अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। **अथवा** न्यूनतम 50% अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0)। **अथवा** न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा। **अथवा** स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) **तथा** **(ख)** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा **(टी0ई0टी)** में **पास होना।**

भाग 2 ख अध्याय एक का संशोधन

7. मूल विनियम भाग दो–ख में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 **वर्तमान विनियम भाग दो–ख**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम भाग दो–ख**
अध्याय–एक– परिभाषाएं।	**अध्याय–एक–परिभाषाएं**
(5) "प्रधानाध्यापक" का अर्थ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल का प्रधान है।	**(5)** "प्रधानाध्यापक" का अर्थ मान्यता प्राप्त **हाईस्कूल/पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल)/ प्राईमरी का प्रधान है।**

अध्याय सात विनियम 3(च) का संशोधन

8. मूल विनियम अध्याय सात {परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता} हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता–विनियम 3 के उप विनियम (च) के पश्चात उप विनियम (च)(1) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थात–

(च) (1) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए प्रशासन योजना से छूट रहेगी।

अध्याय सात विनियम 5(6)का संशोधन

9. मूल विनियम अध्याय 7 के विनियम 5(6) के पश्चात उप विनियम (6)(क) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थात–

(6)(क) विद्यालय के नाम भूमि 30 वर्ष की पंजीकृत लीज डीड होनी चाहिये तथा नजूल भूमि के मामले में भूमि विद्यालय के निजी स्वामित्व का प्रमाण पत्र परगना अधिकारी/तहसीलदार/अपर तहसीलदार द्वारा प्रदत्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अध्याय सात विनियम 9 का संशोधन

10. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिपादित विनियम
विनियम 9 (अ) (क) (5) (च) हाईस्कूल नवीन की मान्यता वन टाइम हेतु–	विनियम 9 (अ) (क) (5) (च) हाईस्कूल नवीन की मान्यता वन टाइम हेतु–
भूमि–विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत है– 1. शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया) में 1000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा 2. ग्रामीण क्षेत्र में 4000 वर्ग मी0 अथवा एक एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।	भूमि–विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत् है– 1. शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका /टाउन एरिया) में 1000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा 2. ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मी0 अथवा आधा एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।

अध्याय तेरह विनियम {1} (छः) का संशोधन

11. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयक्रम) विनियम {1} (छः)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयक्रम) विनियम एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) विनियम {1} (छः)
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)

अध्याय तेरह विनियम {2}(अ)–1 का संशोधन

12. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयक्रम) विनियम {2} (अ)–1	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयक्रम) विनियम एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) विनियम {2} (अ)–1
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)
परीक्षा योजनाः– विनियम {1} (अ)–1	**परीक्षा योजनाः– विनियम {1} (अ)–1**
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्याकंन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)

अध्याय चौदह विनियम 3 का संशोधन

13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ--2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम इण्टरमीडिएट परीक्षा	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिपादित विनियम इण्टरमीडिएट परीक्षा
विनियम 3 अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय, योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा	विनियम 3 अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय, योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा
कक्षा 11 एवं 12 में आन्तरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा।	कक्षा 11 एवं 12 में आन्तरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

12 जून, 2013 ई0

संख्या 486/iX-1/302/07/2013–राज्यपाल महोदय, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0–59, सन्1988) की धारा 111 एवं 211 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0–10, सन् 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना सं0–140/iX-1/302/07/2013 दिनांक 06 फरवरी, 2013 द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 168 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 168 के उपनियम (6) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) प्रत्येक ऐसे निरीक्षण की फीस केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विहित फीस के बराबर देय होगी।	(6) उपनियम (5) के अन्तर्गत किसी कैलेण्डर वर्ष में ऐसे प्रथम निरीक्षण की फीस केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विहित फीस के बराबर देय होगी परन्तु उसी यात्रा अवधि में अनुवर्ती निरीक्षण के समय कोई शुल्क नही लिया जायेगा।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 486/iX-1/302/07/2013,** dated June 12, 2013 for general information.

NOTIFICATION

June 12, 2013

No. 486/iX-1/302/07/2013--In the exercise of powers under section 111 and 211 of the Motor Vehicles Act. 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and with a *view* to amend Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011, the Governor is pleased to make the following Rules after the previous publication by Government Notification No.140/iX-1/302/07/2013 dated 06-February, 2013 as required under subsection (1) of section 212 of the said act as follows.

Uttarakhand Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2013.

Short title and commencement	1	(1) This rule may be called the Uttarakhand Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2013. (2) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
Amendment of rule 168	2	**2-** In the said rules, in rule 168 for existing sub rule (6) as set out in column-1 below, the sub rule as setout in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule as hereby substituted
(6) Fee for every such inspection shall be the same as prescribed in rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.	**(6)** Fee for such first inspection shall be the same as prescribed in rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 but no fee shall be levied for subsequent inspection in the same tour period.

By Order,

UMAKANT PANWAR,
Secretary.

पंचायतीराज एवं ग्रा0अ0से0 अनु0–2

अधिसूचना/प्रकीर्ण

25 जून, 2013 ई0

संख्या 593/XII-2/2013/93(05)/2012–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह–"ख") सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह 'ख') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह 'ख') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह 'ख') सेवा नियमावली, 2006 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 5 में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगे; अर्थातः–

स्तम्भ–1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ–2 (एतद् द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(ख) 8–1/3 प्रतिशत रिक्तियॉ मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, यॉत्रिक, विद्युत) और संगणकों में से, जो भर्ती के प्रथम दिवस को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि	(ख) 8.33 प्रतिशत रिक्तियॉ मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, विद्युत, यॉत्रिक) और कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता(प्राविधिक) में से, जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को विभागीय अनुमति प्राप्त कर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (सिविल

रखता हो या इन्स्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का सहयुक्त सदस्य हो तथा कनिष्ठ अभियन्ता अथवा संगणक के रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पात्र व्यक्ति उपलब्ध होने की दशा में आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

परन्तु– यदि इस खण्ड के अधीन उपयुक्त या पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो ऐसी रिक्तियॉ आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती हैं।

(ग) 50 प्रतिशत रिक्तियॉ मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, यॉत्रिक, विद्युत) और संगणकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यह कि मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं और मौलिक रूप से नियुक्त सगंणको में से

/विद्युत/यॉत्रिक) अभियन्त्रण में स्नातक उपधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो या इन्स्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का सहयुक्त सदस्य हो तथा जिसने कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता, अथवा कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) के रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पात्र व्यक्ति उपलब्ध होने की दशा में आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यह कि यदि इस खण्ड के अधीन उपयुक्त या पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो ऐसी रिक्तियॉ आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती हैं।

(ग) 50 प्रतिशत रिक्तियां मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल,विद्युत,यांत्रिक) और कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यह कि मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ताओं और मौलिक रूप से नियुक्त

भरी जाने वाली रिक्तियों का विभाजन, उनके अपने–अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में होगा।

कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) में से भरी जाने वाली रिक्तियों का विभाजन उनके अपने–अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में होगा।

परन्तु यह और कि नियम 5 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर की गयी सेवा व जहॉ अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी हो, वहॉ कनिष्ठ अभियन्ता तथा अपर सहायक अभियन्ता दोनो पदों प की गई सेवा अवधि आगणित की जायेगी

परिशिष्ट का संशोधन

3. उक्त नियमावली में स्तम्भ–एक में दिये गये वर्तमा परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गय परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान परिशिष्ट**			**स्तम्भ–2** **एतद् द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**			
क0	**पदनाम**	**कुल पदो की सं0**	**क0सं0**	**पदनाम**	**कुल पदो की सं0**	**वेतनमान**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	सहायक अभियन्ता (सि0)	49	01	सहायक अभियन्ता (सि0)	67	15600–39100 ग्रेड पे–5400

1	2	3	4	5	6	7
2.	सहायक अभियन्ता (वि0)	02	02	सहायक अभियन्ता (वि0)	02	15600—39100 ग्रेड पे—5400
3.	सहायक अभियन्ता (यां0)	02	03	सहायक अभियन्ता (यां0)	02	15600—39100 ग्रेड पे—5400
	योग—	53		योग—	71	

आज्ञा से,

आर0 सी0 पाठक,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No.593/XII-2/2013/93(05)/2012**, dated June 25, 2013 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

June 25, 2013

No.593/XII-2/2013/93(05)/2012—In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Rural Engineering (Group 'B') Service Rules 2006.

The Uttarakhand Rural Engineering (Group 'B') Service (Amendment) Rules, 2013

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Rural Engineering (Group 'B') Service (Amendment) Rules, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule-5 2. In The Uttarakhand Rural Engineering (Group 'B') Service Rules, 2006 (hereafter referred as principle Act) for clause (b) and (c) as setout in column 1, below the clauses as setout in column 2, shall be substituted, namely:-

Column-1 (Existing Rules)	Column-2 (Rules as hereby substituted)
(b) 8-1/3 percent vacancy by promotion from amongst substantively appointed	(b) 8.33 percent vacancy by promotion from amongst substantively appointed

junior engineer (civil, mechanical, electrical) and computer operator who have completed civil engineering graduate degree from any recognized university of India or have equivalent recognized govt, degree or computer operator member of institution of engineers (India) and who have completed at least three years of service as junior engineer or computer operator on the first day of the year of recruitment, through commission, in condition of deserving candidates available.	Junior Engineer/Additional Assistant Engineer (Civil, Electrical, Mechanical) and Junior Engineer/Additional Assistance Engineer (Technical) who, on the first day of the year of recruitment; after obtaining departmental permission, has completed (Civil, Electrical, Mechanical) engineering degree from any recognized university of India or have equivalent recognized government degree or is member of institution of engineer (India) and who has completed at least three year service, as Junior Engineer/Additional Assistant Engineer or Junior Engineer/Additional Assistant Engineer (Technical) through commission on condition of deserving candidate being available.
If under this para, suitable or eligible candidates are not available for promotion, vacancies can be filled through direct recruitment.	Provided that if under these clause suitable or eligible candidates are not available for promotion, these vacancies can be filled through direct recuritment.
(c) 50 % vacancy filled by promotion from amongst substantively appointed junior engineer (civil, electrical, mechanical) and computer operators who have completed at least 7 years of service on the first day of the year of recruitment, through commission.	(c) 50 percent vacancy filled by promotion from amongst substantively appointed Junior Engineer/Additional Assistant Engineer (Civil, Electrical, Mechanical) and Junior Engineer/Additional Assistant Engineer (Technical), who have completed at least 7 years of service on the first day of the year of recruitment, through commission.
Provided that the division of vacancies for substantively appointed junior engineer and substantively	Provided that the division of vacancies for substantively appointed Junior Engineer/Additional and

appointed computer operators, their number of members ratio will be from their own cadre.

subjectively appointed Junior Engineer /Additional Assistant Engineer (Technical), their number of members ratio will be from their own cadre.

Provided further that under clause (b) and (c) of Rule 5 for the promotion of the post of Assistant Engineer there will be count of service period on the post of Junior Engineer and where promotion was made on Additional Assistant Engineer, there will be count of both the service period of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer.

Amendment of Annexure

3. In the principal rule, in place of existing Annexure as set out in column 1, the Annexure shall be substituted as set out cloumn 2, namely:-

Column I
(Existing Annexure)

Column II
(Annexure as hereby substituted)

S.No	Name of the post	Total No of post	S.No	Name of the post	Total No of post	Pay scale
1	2	3	1	2	3	
1	Assistant engineer (Civil)	49	1	Assistant engineer (Civil)	67	15600-39100 grade pay-5400
2	Assistant engineer (electrical)	02	2	Assistant engineer (electrical)	02	15600-39100 grade pay-5400
3	Assistant engineer (mechanical)	02	3	Assistant engineer (mechanical)	02	15600-39100 grade pay-5400
	Total	**53**		**Total**	**71**	

By Order,

R. C. PATHAK,
Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

01 जुलाई, 2013 ई0

संख्या 2131/XXXi(13)/G/13-45(1)/2006—राज्यपाल, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते हैं, जिसमें एक फरवरी, दो हजार बाहर को आरम्भ होने वाली और इकतीस जनवरी दो हजार सत्रह (01 फरवरी, 2012 से, 31 जनवरी, 2017) को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है:—

क्षेत्र का विवरण

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा सं0	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	गैना	2420	282.48
		बगडतोली	3288	167.35
		बसोड	1930	476.86
		दोली	7047	447.35
		सरमोला	1000	35.00
		विसखोली	4383	322.50
		बलतडी	4077	446.55
		मनानीगाड		क्षेत्रफल बसौड ग्राम में सम्मिलित है।
		जाथल	1432	211.72
		मूनाकोट	5316	1147.47

टिप्पणी:—भूमि का स्थल नक्शा जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 2131/XXXi(13)/G/13-45(1)/2006,** dated July 01, 2013 for general information.

NOTIFICATION

July 01, 2013

No. 2131/XXXi(13)/G/13-45(1)/2006--In exercise of powers conferred by sub section (4) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Central Act no. 5 of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within for a period of five years commencing on the First day of February, 2012 and ending with the Thirty first day of January, 2017 carrying out, periodically of field firing and artillery practice may be authorized.

SCHEDULE

Dist.	Tehsil	Village	Plot no.	Approximate Area (in Acre)
1	2	3	4	5
Pithoragarh	Pithoragarh	Gaina	2420	282.48
		Bagartoli	3288	167.35
		Basaur	1930	476.86
		Doli	7047	447.35
		Surmola	1000	35.00
		Biskholi	4383	322.50
		Baltari	4077	446.55
		Mananigad		Area included in Village Basaur
		Jathal	1432	211.72
		Munakote	5316	1147.47

Note:- A site plan of the land may be inspected by the interested person in the office of the District Magistrate, Pithoragarh.

By Order,

SURENDRA SINGH RAWAT,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/495–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2013 ई0 (श्रावण 19, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 09, 2013

No. 85 UHC/XIV/34/Admin.A--Sri Kawer Sain, District Judge, Almora is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 12-04-2013 to 28-04-2013.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

No. 113 UHC/Admin-B/XI-C/2005

May 30, 2013

Alternative Dispute Resolution (Amendment) Rules-2013

(To amend the Civil Procedure Mediation Rules, 2007)

1. (a) These Rules may be called the Civil Procedure Mediation (Amendment) Rules, 2013.

   (b) These Rules shall come into force with immediate effect.

2. Rule 3 (b) of the Civil Procedure Mediation Rules, 2007 (original Rules) shall be substituted as under--

Existing Rule	Substituted Rule
Rule 3 (b): Legal practitioners with at least fifteen years standing at the Bar at the level of Supreme Court, High Court, District Courts or Courts of equivalent status, or	Rule 3 (b): Legal practitioners with at least five years standing at the Bar at the level of the Supreme Court, High Court, District Courts or Courts of equivalent status, or

By Order of the Court,

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

May 30, 2013

No. 114 UHC/XIV-72/Admin.A/2003--Sri Brijendra Singh, Additional District Judge/Special Judge (C.B.I.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 06-05-2013 to 18-05-2013 with permission to prefix 05-05-2013 as Sunday holiday and to suffix 19-05-2013 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 03, 2013

No. 115/UHC/Admin.A--Notification No. 91/XIV-2/Admin.A/2008 dated 22-05-2013, earlier issued by this Court is hereby withdrawn.

By Order of Hon'ble the Court,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 03, 2013

No. 116/XIV-2/Admin.A/2008--Sri Pradeep Kumar Mani, Civil Judge (Sr. Div.) Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 30-04-2013 to 10-05-2013 with permission to suffix 11-05-2013 & 12-05-2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 05, 2013

No. 119/XIV-81/Admin.A/2003–Ms. Anjushree Juyal, Additional Chief Judicial Magistrate (Railway), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 28-01-2013 to 08-02-2013 with permission to prefix 25-01-2013 to 27-01-2013 as Barawafat, Republic Day and Sunday holidays respectively and to suffix 09-02-2013 & 10-02-2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

NOTIFICATION

June 05, 2013

No. 120/XIV-29/Admin.A--Sri Raj Krishan, District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 08 days *w.e.f.* 23-05-2013 to 30-05-2013.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/495–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2013 ई0 (श्रावण 19, 1935 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर

अधिसूचना की सूचना

07 अप्रैल, 2013 ई0

पत्रांक 29/पं0चुना0/ना0नि0निर्वा0/2013–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं प्रवृत्त) के अधीन राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डा0 वी0 षणमुगम, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0) बागेश्वर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या–59/रा0नि0आ0–3/1379/2013 दिनांक 05 अप्रैल, 2013 के क्रम में एतद्द्वारा जनपद की नगर पालिका परिषद् बागेश्वर एवं नगर पंचायत कपकोट के सदस्यों तथा उनके अध्यक्षों का निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विर्निदिष्ट समय–सारणी के अनुसार कराये जाने हेतु अधिसूचित करता हूँ।

2. यदि किन्हीं नागर निकायों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तद्नुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस निर्वाचन में वहीं प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	नाम–निर्देशन पत्रों की जॉच की तिथि व समय	नाम–निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
8 अप्रैल, 2013 से 12 अप्रैल, 2013 (पूर्वान्ह10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	13 अप्रैल, 2013 (पूर्वान्ह10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	15 अप्रैल, 2013 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक)	16 अप्रैल, 2013 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	28 अप्रैल, 2013 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	30 अप्रैल, 2013 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. उत्तराखण्ड शासन,शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–301/iv(1) 2013 (नि0)2012 दिनांक 26 मार्च, 2013 एवं अधिसूचना संख्या–300 /iv(1) 2013 (नि0)2012 दिनांक 26 मार्च, 2013 अधिसूचना संख्या–350/iv(1) 2013 (नि0)2012 दिनांक 04 अप्रैल, 2013 एवं अधिसूचना संख्या- 351/ /iv(1) 2013 (नि0)2012 दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद, बागेश्वर एवं नगर पंचायत, कपकोट के सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों का आरक्षण अधिसूचित किया गया है और जो निम्न प्रकार से है के अनुसार निर्वाचन कराये जाने हेतु आदेशित करता हूँ।

नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के आरक्षण का विवरणः–

क्रमांक	पद का नाम	नगर पालिका परिषद का नाम/कक्ष संख्या व नाम	आरक्षण की श्रेणी
1	**अध्यक्ष**	**नगर पालिका परिशद, बागेश्वर।**	**महिला**
2	सदस्य	01–वेणीमाधव	अनारक्षित
3	––तदैव––	02–भीलेश्वर	अनारक्षित
4	––तदैव––	03–दुग बाजार	अनारक्षित
5	––तदैव––	04–ठाकुरद्वारा	महिला
6	––तदैव––	05–बागनाथ	महिला
7	––तदैव––	06–घटबगड	अनुसूचित जाति (महिला)
8	––तदैव––	07–ज्वालादेवी	अनारक्षित

नगर पंचायत कपकोट

1	अध्यक्ष	नगर पंचायत, कपकोट	अनुसूचित जाति महिला
2	सदस्य	01–मण्डलखेत	अनारक्षित
3	सदस्य	02–कपकोट बाजार	अनुसूचित जाति (महिला)
4	सदस्य	03–शिवालय	अनारक्षित
5	सदस्य	04–भराड़ी	महिला
6	सदस्य	05–ऐठाण	अनुसूचित जाति
7	सदस्य	06–पालीडुंगरा	महिला
8	सदस्य	07–खीरगंगा	अनारक्षित

संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा इसके लिए स्थानीय समाचार–पत्रों तथा नगर पालिका परिषद, बागेश्वर एवं नगर पंचायत, कपकोट में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों,मुनादि द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाय।

4. **नाम–निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम–निर्देशन पत्रों की जॉच तथा नाम–निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही नगर पालिका परिशद, बागेश्वर हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटनिंग आफिसर्स) द्वारा उप जिलाधिकारी, बागेश्वर के न्यायालय कक्ष में की जायेगी तथा अध्यक्ष एवं सदस्य की मतों की गणना का कार्य निर्धारित तिथि व समय दिनांक 30 अप्रैल, 2013 (प्रातः 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) तहसील भवन, बागेश्वर में होगी।**

5. **नाम–निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम–निर्देशन पत्रों की जॉच तथा नाम–निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही नगर पंचायत, कपकोट हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटनिंग आफिसर्स) द्वारा उप जिलाधिकारी, कपकोट के न्यायालय कक्ष में की जायेगी तथा अध्यक्ष एवं सदस्य की मतों की गणना कां कार्य निर्धारित तिथि व समय दिनांक 30 अप्रैल, 2013 (प्रातः 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) तहसील सभागार कपकोट में होगी।**

6. उक्त समय–सारणी के दौरान पडने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यलय खुले रहेंगे।

डा0 वी0 षणमुगम,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/495–भाग 3–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।